क्रम संख्या–59

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 31 मार्च, 2016 ई0

चैत्र 11, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 106 / XXXVI(3) / 2016 / 21(1) / 2016

देहरादून, 31 मार्च, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016"** पर दिनांक 29 मार्च, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 05 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2016

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05 वर्ष, 2016)

उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2003 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवे वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1.(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 3 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (3) में "दो उपाध्यक्ष" शब्दों के स्थान पर "तीन उपाध्यक्ष" शब्द "ग्यारह सदस्य" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह सदस्य" रख दिये जायेंगे।

धारा 4, 6, 16, 17 एवं 19 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 4, 6, 16, 17 एवं 19 में "दो उपाध्यक्ष" शब्द के स्थान पर शब्द "तीन उपाध्यक्ष" एवं "ग्यारह सदस्य" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह सदस्य" रख दिये जायेंगे।

धारा 8 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगीः–

(5) यदि अध्यक्ष और सभी तीनों उपाध्यक्षों के पद रिक्त हो जाते हैं, तो अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का निर्वहन ऐसे सदस्य द्वारा, जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्देशित करे, किया जायेगा।"

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य एवं कारण

उत्तरांखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2003 की धारा–3 की उपधारा (3) में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष एवं ग्यारह सदस्यों की व्यवस्था उल्लिखित है। अध्यक्ष सहित सभी सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग से होंगे।

उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2003 की धारा–3 की उपधारा (3) में संशोधन का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य स्तर पर विचार–विमर्श के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों के बेहतर अनुश्रवण तथा समुचित सहभागिता के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में दो उपाध्यक्ष के स्थान पर तीन उपाध्यक्ष एवं ग्यारह सदस्यों के स्थान पर पन्द्रह सदस्य किए जाने की आवश्यकता अनुभव की गयी है।

एतद्द्वारा उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 पुरःस्थापित किया जा रहा है।

सुरेन्द्र सिंह नेगी,
मंत्री,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 10 विधायी / 192–2016–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।